

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2026 — माघ 24, शक 1947

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 फरवरी 2026

अधिसूचना

क्रमांक/LAW/762/2025 COMM. COOP. & RCS. - छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 95 की उप-धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 50 के उप-नियम (2) के द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम चिन्ह “।” के स्थान पर, कोलन चिन्ह “:” प्रतिस्थापित किया जाये।
2. नियम 50 के उप-नियम (2) के द्वितीय परन्तुक में, कोलन चिन्ह “:” के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाये, अर्थात् :-

“परन्तु यह भी कि किसी सहकारी बैंक के मामले में संपरीक्षा, निरंतर तीन वित्तीय वर्ष की ब्लॉक अवधि में की जायेगी।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.आर. प्रसन्ना, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 13th February 2026

NOTIFICATION

No./LAW/762/2025 COMM. COOP. &RCS. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 95 of the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No.17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Co-operative Societies Rules, 1962, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In the second proviso to sub-rule (2) of rule 50, for the full stop “.” the punctuation colon “:” shall be substituted,
2. After the punctuation colon “:” in the second proviso of sub-rule (2) of rule 50, the following proviso shall be added, namely:-

“Provided also that, in case of a Co-operative Bank, audit shall be done in block period of three consecutive financial years.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C.R. PRASANNA, Secretary.